

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर, 1998

## कार्यस्थित ज्ञापन

**विषय:-** वर्ष 1997-98 के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को तदर्थ बोनस की मंजूरी।

मुझे, केन्द्रीय सरकार के समूह "ग" तथा "घ" कर्मचारियों और उत्पादकता से जुड़ी किसी भी बोनस स्कीम के अंतर्गत न आने वाले समूह "ज" के सभी अराजपत्रित अधिकारियों के लिए वर्ष 1997-98 के लिए 30 दिन की परिलक्षियों के बराबर तदर्थ बोनस मंजूर किए जाने के बारे में राष्ट्रपति की स्वीकृति से अवगत कराने का निदेश हुआ है। 2500/- रुपए की परिकलन सीमा अपरिवर्तित रहेगी। यह भुगतान केन्द्रीय पुलिस तथा अर्धसैनिक कार्मिकों तथा सशस्त्र बल कर्मियों के लिए भी स्वीकार्य होगा। यह आदेश संघ ज्ञासित क्षेत्र प्रशासकों के उन कर्मचारियों पर भी लागू माने जाएगे, जिन पर परिलक्षियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार की पढ़ति का अनुसरण किया जाता है तथा जो अन्य किसी बोनस या अनुग्रह अदायगी की स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं।

2. यह सामने निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा :—

- (i) केवल वे ही कर्मचारी इन आदेशों के अंतर्गत अदायगी के पात्र होंगे जो 31.3.98 को सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 1997-98 के दौरान कम-से-कम छः महीने की लगातार सेवा पूरी की हो। वर्ष के दौरान छः महीने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को अनुपातिक अदायगी स्वीकार्य होगी, पात्रता की अवधि की गणना सेवा के महीनों (महीनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित) की संख्या में की जाएगी।
- (ii) नेपिलिक काभगार जिसने पिछले 3 वर्षों या इससे अधिक समय के लिए प्रतिवर्ष कम-से-कम 240 दिवसों के लिए काम किया है, इस तदर्थ अदायगी का पात्र होगा। इस राशि की अदायगी 750/- रुपए प्रतिमास के काल्पनिक वेतन पर की जाएगी। अदा किए जाने वाले तदर्थ बोनस की राशि रुपए  $750 \times 30/31$  अर्थात् 725.80 रुपए (726 रुपए में पूर्णांकित) होगी। ऐसे मामलों में जहाँ पर वास्तविक परिलक्षियों 750/- रुपए प्रतिमास से कम होती हों, इस राशि की गणना वास्तविक मासिक परिलक्षियों पर की जाएगी।
- (iii) इन आदेशों के अंतर्गत सभी अदायगियां निकटतम रुपए में पूर्णांकित की जाएंगी।
- (iv) ऐसे मामलों में जहाँ उपर्युक्त उपबंधों में कोई व्यवस्था नहीं है, समय-समय पर संशोधित इस मंत्रालय के दिनांक 4.10.1988 के कार्यालय ज्ञापन सं.एफ.14(10)-संस्था(समन्वय)/88 के द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण आदेश लागू होंगे।

3. इन आदेशों के अंतर्गत अदायगियां संबंधित संगठनों की संगत अनुदानों की भागी में उप-शीर्ष (वेतन) में प्रभार्य होंगी।

4. तदर्थ बोनस पर होने वाला व्यवहार संबंधित मंत्रालयों/विभागों के चालू वर्ष के लिए स्वीकृत बजट प्रावधान के भीतर हो किया जाना है।

5. जहाँ तक, भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों पर इनके लागू होने का संबंध है, आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए गए हैं।

(श्रीमति सुनदर)  
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को मानक वितरण सूची आदि के अनुसार।  
प्रतिलिपि (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि के मानक वितरण सूची के अनुसार प्रेषित।